न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/17

1. गुलाबी पत्नि गंगाराम उम्र 69 वर्ष
2. महावीर पुत्र स्व0 गंगाराम उम्र 55 वर्ष
3. सुरेश पुत्र स्व0गंगाराम उम्र 50 वर्ष
4. सज्जन पुत्र स्व0गंगाराम उम्र 45 वर्ष
5. हुक्मा पुत्र स्व0 गंगाराम उम्र 35 वर्ष
6. सम्पति पुत्री स्व0 गंगाराम उम्र 48 वर्ष
7. पुष्पा पुत्री स्व0गंगाराम उम्र 42 वर्ष
8. अनिता पुत्री स्व0गंगााम उम्र 39 वर्ष
9. कमलेश पुत्री स्व0 गंगाराम उम्र 32वर्ष
10. बर्तन पुत्री स्व0गंगाराम उम्र 40 वर्ष

समस्त जाति कंजर निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0 –वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर –प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री मुरलीधर वकील – प्रार्थी
पैरोकार सरकार –अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 14 .11.2019

वादीगण की कब्जे काश्त व स्वामित्व व गैर खातेदारी की आराजी वाकै ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित आराजी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या		खसरा नं.	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
442	392	1555/854	080 है0	नहरी 1

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता के नाम आवंटित हुई थी। जिसका गैर खातेदारी मे नामान्तकरण प्रार्थीगण के पिता के नाम दिनांक 28.03.2007 को दर्ज किया गया । प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। साबिक खसरा नम्बर 306/2/1 थे जिनके हाल खसरा नंबर 854/1348 बने किन्तु प्रार्थीगण के पिता के नाम अलग खाता कायम कर गैर खातेदारी मे खसरा नं.1555/854 दर्ज किया गया । पुराने खसराा बर 306/2/1 का राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे तरमीम के आधार पर ही वादीगण के पिता को आवंटन कर आवंटित जमीन का कब्जा दिय गया था किन्तु राजस्व अधिकारियें ने तरमीम करते समय पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं कर नये नक्शे मे अलग जगह तरमीम कर दी है अतः पुनः दुरूस्त की जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने अपने जवाब मे

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

बताया कि ग्राम नायकी तहसील केकड़ी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 442 मे खसरा नंबर 1555/854 रकबा 0.80है0 गंगाराम पुत्र बरदा कौम कंजर सा0केकड़ी गैर खातेदार दर्ज होकर नामा0 1199 दिनांक 06.06.2016 से गंगाराम के वारिस प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। मुताबिक क्षैत्रफल हाल खसरा नंबर/रकबा 775/0.46 के साबिक नंबर 306/2रकबा 0.13व 306/2/2 रकबा 0.33,हाल नंबर/रकबा 776/0.08 के साबिक नंबर 306/2/1रकबा 0.08हाल खसरा नंबर/रकबा 777/0.76 के साबिक नंबर 306/2/1 रकबा 0.60व 345रकबा 0.16हाल खसरा नंबर 852/1348 रकबा 1.58 के साबिक खसरा नंबर 306/2/1 मि.रकबा 1.78 हाल खसरा न.854/1349 रकबा 1.58 के साबिक खसरा नम्बर 306/2/1 रकबा 1.58 क्रमशः साबिक ख.नं. से बने है। वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के साबिक खसरा नं.306/2 रकबा 26.10.10 मे से नामा0संख्या 109 दिनांक 4.8.2014 से 5.00.00बीघा गंगाराम पुत्र बिरदा कंजर जरिये आवंटन गैर खातेदार दर्ज हुआ है। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग गंगाराम पुत्र बिरदा कंजर की आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसे जरिये इन्द्राज दुरूस्ती नामा0 संख्या 440 दिनांक 28.03.2007 से खसरा नं.854/1349 रकबा 1.58 है0 मे से खसरा नम्बर 854/1349मिन रकबा 0.80 है0 गंगाराम पुत्र बिरदा कंजर सा0 केकड़ी गैर खातेदार जमाबंदी संवत् 2060–63 पर दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 854/1349 मिन रकबा 0. 80 है0 के हाल खसरा नंबर 1555/854 रकबा 0.80 है0 बना है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गुलाबी वगै0 का नक्शा हाल नक्शा शीट मे गलत जगह बना दिया गया है जबकि गुलाबी वगै0 हाल ख.नं.775 एव 852/1348 पर मौके पर काबिज है। खसरा नंबर 854/1349 का हाल नक्शा शीट रकबा 0.06 है0 है जबकि जमाबदी मे रकबा 1.58 दर्ज है जो जमाबंदी की तुलना मे 1.52 है0 कम है। खसरा नंबर 775 व 852/1348 के स्थान पर संलग्न दुरूस्ती प्रस्तावित नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 1555/854 दुरूस्त होना उचित है। मैने पक्षकारान् के लायक वकील श्री मुरलीधर शर्मा को सुना। उन्होने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया व जवाब पैरोकार सरकार मे अंकित दुरूस्ती अनुमोदन के आधार पर आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी को भी उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने मे कोई आपत्ति नही है तथा उन्होने दुरूस्ती किये जाने की सिफारिश की है। अतः मौजूदा नक्शे मे खसरा नंबर 775 व 852/1348 के स्थान पर खसरा नम्बर 1555/854 की दुरूस्ती संलग्न प्रस्तावित नक्शें अनुसार की जावे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.02 12:05:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: